

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राजस्थान, जयपुर।**  
 (Swasthya Bhawan Tilak Marg C-Scheme, Jaipur-302005)  
 (Phone Number-0141-2222683 E-mail- add4ng@gmail.com)

क्रमांक:-नर्सिंग/एएनएम फिक्स/जोन जोधपुर/X-29 Pt 9 (01264)2025/ 52

दिनांक:- 31/1/2025

--: आदेश :-

निदेशालय के आदेश क्रमांक, 309 दिनांक 28.05.2020 एवं 1093 दिनांक 05.10.2020 के द्वारा निम्न अभ्यर्थियों को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी है। कार्मिकाओ द्वारा दो वर्ष का परिवीक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण करने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 31 के तहत इनकी वास्तविक/काल्पनिक कार्यग्रहण दिनांक से नियमित/स्थाई करते हुये इन्हें परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर इनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 8 में दर्शायी गई तिथि से राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद की पे मैट्रिक्स लेवल एल-08 में न्यूनतम वेतन 26300/- एवं अन्य भत्ते नियमानुसार स्वीकृत किया जाता है:-

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/सुश्री/ श्रीमती)	पदस्थापन जिला	जन्मतिथि	कार्यग्रहण तिथि	कार्मिक की काल्पनिक कार्यग्रहण तिथि	परिवीक्षाकाल पूर्ण करने की दिनांक	02 वर्ष पश्चात परिवीक्षापूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती माया हरिजन, म0स्वा0कार्य0	ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी भणियाणा (जैसलमेर)	10.03.1993	12.10.2020	—	11.10.2022	12.10.2022

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F.1(2)FD(Rules)/06/ Part-1 दिनांक 08.08.2019 एवं 25.10.2019 के अनुसरण में एक माह से अधिक असाधारण अवकाश अवधि की सूचना प्राप्त होने पर उनके परिवीक्षाकाल में अभिवृद्धि की जावेगी।

(राकेश कुमार शर्मा)  
 निदेशक (अराजपत्रित)  
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
 राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/एएनएम फिक्स/जोन जोधपुर/X-29 Pt 9 (01264)2025/ 52

दिनांक:- 31/1/2025

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जोधपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त प्रकरण इतने विलम्ब से निदेशालय को प्रेषित किये जाने के संबंध में संबंधित लिपिक से स्पष्टीकरण प्राप्त मय अपनी टिप्पणी के निदेशालय को प्रेषित करावें।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, भणियाणा (जैसलमेर)
4. संबंधित कार्मिका को द्वारा उनके नियंत्रण अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर कक्ष मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
6. आदेश/निजी पत्रावली।

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh  
 Kumar Sharma  
 Designation: Director  
 Date :31-01-2025 01:53:36

E- File/Order 2024

RajKaj Ref No.: 13283974